

Telephone E-Mail : 044 - 28889333, 28415702

: investor@iobnet.co.in

# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंन्द्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं ३७६५, ७६३ अण्णा सालै, चेन्नै ६०० ००२

#### Indian Overseas Bank

Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

Investor Relations Cell IRC/167 /2020-21

02.11.2020

The Vice President

National Stock Exchange Limited

"Exchange Plaza", C-1, Block G

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Senior General Manager Dept. of Corporate Services

**BSE Limited** 

Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street

Mumbai - 400 001

Dear Sir,

# Notice of Extraordinary General Meeting – Disclosure under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR)

We refer our letter No. IRC/163/2020-21 dated 31.10.2020 regarding release of Notice of Extraordinary General Meeting.

In this regard, we have published information to the shareholders in three Newspapers viz.. Dinamani (Tamil), Business Standard (Hindi) and Business Standard (English) on 02.11.2020. We enclose newspaper publication of the Information to Shareholders.

Please take the above intimation in your records.

Thanking You

Yours faithfully,

**S Nandakumaran** 

DGM & Company Secretary



#### Indian Overseas Bank

Investor Cell, Central Office, Chennai - 600 002

## Newspaper Publication



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி

பந்குதளர்களுக்கு அறிவிப்பு
கீழ்க்கண்ட வர்த்தகம் தொடர்பாக பரிவர்த்தகை மேற்கொள்ள இந்தியன் ஒவர்சீஸ் வங்கியின் பங்குதாரர்களுக்கான அளதாரண பொதுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை, 3 டிசம்பர், 2020 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 11.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி (VC)/விற ஒலி ஒளி (OAVM) முறையில் நடைபெறும் என்று இந்தியன் ஒவர்சீஸ் வங்கியின் (பங்குகள் மற்றும் கூட்டங்கள்) விதிகள் 2003ன் (2008 வணதிருத்தப்பட்டது) விதி 57ன் கீழ் இந்த அறிவிப்பு மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இயக்குனாகள் குழு உத்தரவுப்படி இந்தியன் ஓவாசீஸ் வங்கிக்காக

இடம் : சென்னை தேதி : 27 அக்டோபர் 2020

துப்பட்டு பார்த்தா பிரதிம் சென்குப்தா நிர்வாக இயக்குனர் – தலைமை செயல் அதிகாரி

டுடம் : சென்னை பார் 2020 நிர்வாக இயக்குனர். 27 அக்டோர் 2020 நிர்வாக இயக்குனர் தகையை செயல் அதிகாரி திர்வுக இயக்குனர் அக்க கட்டின் (சென்றப்தா கிறப்புகர் கிறப்படுகள் கிறப்புகர் கிறப்புகர் கிறப்படுகள் கிறப்படுகள்

சென்னை 000 002) என்ற இணைப்பைக் கிளிக் செய்லு தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவிகள் மற்றும் மொடையி என்னை பதிவு இடிய்யாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். யாற்றாக, பங்குதார்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவர் மற்றும் மேறையான அடிகையின் அடிகையின் அடிகையின் அடிகையின் அடிக்கும் கடிய மற்றும் கொள்ளவரும். இவர்கள் பாற்றும் அடிக்கும் கடிய மற்றும் முறையின் மற்றும் முறிக்கும் முறியின் மற்றும் முறையின் மற்றும் முறையின் மற்றும் முறியின் மறியின் மற்றும் முறியின் மறியின் மற்றும் முறியின் மறியின் மறியின் மற்றும் முறியின் மற்றும் மறியின் ம பண்ணுக்க முகளியான investor Grootherus இத்திய நேர்ப்படி மாலை 5.00 மண்ணுக்கிறமை, 27 நடிம். ர். 2020 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மண்ணுக்கிறமை, 27 நடிம். ர். 2020 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மண்ணுக்கிறமை, 27 நடிம். ர். 2020 அன்று இந்திய நேரப்படும் அது குரித்து ஸ்டாக் கணேறுக்கு மற்று பி. 18. கண்ணுக்கின் இணையதனைன் www.lob.in-ல் பதிவேற்ற செய்யப்படும். அது குரித்து ஸ்டாக் கணேறுக்கு மற்று CDSL-க்கு 6. இதாழில் நடிப் உதனி தேவைப்படும் அருப்படுகள் helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது CDSL-க்கு 022-23058738/022-23058542/43 என்ற என்றுகிகள் நடிமுக்கு கண்கள் குடிமுக்கு கண்கள் குடிமுக்கு கண்கள் குடிமுக்கு மற்றுக்கு ம

இடம் : சென்னை தேதி : 27 அக்டோபர் 2020

நிர்வாக இயக்குனர் – தலை

திங்கள்கிழமை, 2 நவம்பர் 2020

தினமணி சென்னை 3



## विज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 2 नवंबर 2020 सोमवार



शेयर धारकों को नोटिस

<u>सान्य आवरमील वैंक (शेयरों एवं वैंठकों) अधिनयम 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुपालन के तहत एतद्वारा सूचित करता है कि निझ्नविद्यित व्यवसायों के लेनदेन हेतु इण्डियन ओवरसील वैंक के शेयरधारकों के</u> की असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कनप्रेंसिंग(वीक्षी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से 03 दिसंबर 2020 गुरूवार को पातः 11.00 वजे (आईएसटी) किया जाएगा

वैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम , 1970 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में संवर्धित किया गया है ) जो कि वैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 (जिसे आगे "विनियमन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है ) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 ( जिसे आगे "योजना" के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैडकें) विनियमन 2003 ( 2008 तक यथासंशोधित) ( जिसे आने "विनियमन" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3)(i) के अनुसार निम्न संकल्पों को पारित कर वैंक आप निर्माणक्षण के लाग स्वासाय निर्माण गया है) के ब्याप 19(5)(1) के अनुमार निर्माण सम्माण गया गारित कर स्व (विर्माणकार से इनर) के अंतरहारकों के बीम से एक निरंधक का चुनाव किया जाना है, जो कि अधिनियम से धारा 19 व भारतीय रिज़र्व केंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/हीबीआर/2019-20/71, सास्टर निर्देश दीबीआर,एपीपीटी. सं. : 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 02 अगस्य 2019( जिसे आगे "आरबीआई अधिसुचना" के रूप में संदर्भित किया गया है), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या . एफ. सं. 16/83/2013-बीओआइ विनांकित 03 सितंबर 2013 , जो कि सरकार द्वारा विनांक 25 मार्च 2015 व 20 जुलाई 2016 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के वैंकों के गैर- शाधिकारिक निदेशक हेतु विचाराधीन मानवंडों और उसके तहन किए गए किन्हीं भी संशोधनों (जिमे आगे "भारत मरकार के दिशानिर्देशों" के रूप में संदर्भित किया गया है), के अधीन होगा

"यह संकल्प किया गया कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) त्रो कि संबंधित योजना, विनियमनों, आरबीआइ की अग्रिमुचनाओं, भारत सरकार के दिशानिर्देशों, इत्यादि के साथ पठित है, के अनुसरण में केंद्रीय कार्यालय के इतर शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक के चुनाव किया जाना है और इस प्रकार से चयनित वैंक के निदेशक 08 दिसंबर 2020 को परभार ग्रहण करेंगें और वे परभार ग्रहण करने के समय से 03 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।" (निदेशक मंडल के आदेश से)

कते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

स्थान : चेन्नै - 600 002 डिनाक : 27 अक्टूबर 2020

(ह/-) पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता -रिगलक अधिकारी प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक

- प्रबन्धा : 27 अब्दुबर ८०२० अब्दा मार्ग्य के महेनजर, एमसीए (कॉर्पोरेट्र मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्रसंख्या 14/2002 दिनाकित 13 अर्थत 2020 एवं परिपत्र संख्या 20/2020 दिनाकित 13 अर्थत 2020 एवं परिपत्र संख्या 20/2020 दिनाकित 05 मई 2020, 22/2020 दिनांकत 15 जून 2020, 33/2020 दिनांकित 28 सिलंबर 2020 एवं सेशी द्वारा आत्री परिपत्र संबंधी/ एवज/ परिपत्र संपादकी/ पर्वारा अर्था परिपत्र संबंधी/ एवज/ परिपत्र संपादकी/ अर्था अर्था अर्था अर्था देव १८ वर्ष १८ वर
- अण्णा सील, चन्न —5000002 स्थित कन्द्राय कायावाध हागा। ।
  ऐसे शोमदशास्त्र, जिनके नाम गएमसडीएस, मिप्तसीयाह द्वारा अंकन तिथि बुधवार दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को उपलब्ध कारवाई गई पंजीकृत शेयरधारक/हितधारकों की पंजी में दर्ज हैं. सहभागिता जोकि बैंक शेयरधारक निवेशक के चुनाव हेतु नामांकन, प्रतिभाग, मतदान करने के पात होंगे निवेशक के चुनाव संबंधी कार्यसूची हेतु डोटिंग दुरुख ई-बिटिंग तथा बैठक में ई-वोटिंग के प्रधापन से सम्प्र काराई जाएगी। मदलेक ऐपरपायक के पात कार्याई कि विनिर्देश के विज्ञान के प्रधापन के साथ को स्थापन के साथ के प्रधापन के स्थापन के साथ के प्रधापन के स्थापन के अलावा किया भी शोयदाधारक को बैंक के साभी शोयदाधारकों के कुल ताताधिकार के 10% से अधिक के मताधिकार का प्रधापन करने का अधिकार नहीं होगा।
- का प्रधान करन का आपकार नहां हांगा। उच्चे इत्तेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएँगी जिनके ईमेल उपर्युक्त परिपारों के अनुपालन में नोटिस की इत्तेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएँगी जिनके ईमेल पत्ते बुधवार दिनांक 28 अक्टूबर 2020 तक बैंकर डिपोजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस की प्रति बैंक की वेबसाइटरwww.iob.inऔर स्टोक एक्सचेंजों पानि क्रम्याः बीएसई लिग्टिटेड व नेशनत स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तिमेटिड की वेबसाइट www.bseindia.com'द www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।
- अमूर्त रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों , जिनके ईमेल पूर्व पंजीकृत नहीं है, से अनुरोध किया जाता है कि ते अपना मोबाइत नंबर और ईमेल पता अपने डिपोजिटरी भागीदारों के माध्यम से संबंधित डिपोजिटरी के पास रजिस्टर
- कर। अमूर्त रूप से थोयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल https://investors.cameoindia.comलिंक (बैंक के पंजीकृत शेयर अंतरण एजेंट, कीमियों कॉर्योरेट सर्विसेज़ लिमिटेंड, सुबरमध्यन बिल्डिंग, संख्या।, बलब हाउस रोंड, चेश्रई 600 002) पर क्लिक करके प्रस्तुत करें। वैकत्यिक रूप से, शेयरधारक अपनी ईमेल पूर्व मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ agm@ cameoindia.comफो ईमेल भी भेज सकते हैं।
- नामांकन पत्र, घोषणा पत्र एवं निजी सूचना, घोषणा पत्र व वचनपत्र सहित नोटिस की प्रति बैंक की वैबसाइट, जोकि www.iob.in है. पर भी उपलब्ध है ।
- www.bbn.b, एस ना अपलब्ध है। चुनाब में भाग तेने के इब्बुक बोधर धारकों को घोषणापत्र के साथ-साथ अन्य प्रारूप एवं बाबोडाटा व अन्य संबन्धित दस्तावेजी सहित न्यूनतम 100 वेध नामांकन प्रारूप मुहरबंद लिफाफे में ईजीएम की निर्धारित तिथि जोकि बुधरार दिनोंक 18 नवस्यर 2020 को शाम 05.00 है, से कम से कम 14 दिन पूर्व तक किसी भी कार्यदिवस पर महा प्रबन्धक एवं सीएफओं, इंप्डियन ओदरबंधिज़ बैंक, निर्वेशक संबंध कक्ष, तुलनपत्र प्रबंधन विभाग, केन्द्रीय कार्यात्य, 763, अण्णा सात, चेत्र 600 002 को प्रस्तुत करने चाहिए।
- सात, चेन्न 600 002 को प्रस्तुत करने चाहिए।

  बुनाव हारा भरी जाने वाली रिक्ति के लिए पाँदे केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इब संबंध में जिस शेषर

  धारक जिसके वी मानांकन प्राप्त हुए हैं, जो चयनित माना लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अशाधारण शामान्य बैठक का
  संचालन, आयोजन नहीं किया जाएगा।

  सेबी के विनियमम 4.4 (मुद्रो निर्धारण और प्रकटीकरण आवष्यकताएँ) विनियम, 2015 के संवर्भ में,
  आपके बैंक ने असाधारण सामान्य बैठक में ईजीएम पर के लिए शेयरधारकों हुत एजेंडा निष्पादन करने
  के उद्देश्य से दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सुविधा हेतु केंद्रीय डिपॉजिटरी सॉर्विसेज लिमिटेंड
  (सीडीएसएण को नियुक्त किया है। भीतिक रूप या अमृत रूप में श्रेयर धारण करने वाले सुवध्य अतिम तिर्धिय जोकि बुधवार, 28 अक्टूबर, 2020 है, तक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।
- डिमैट मोड, भीतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरशारको एवं जिन लोगों ने अपना ई-मेल पंजीकृत नहीं किया है के द्वारा वोट डालने की प्रकिया ईजीएम के नोटिस उपलब्ध हैं।
- थोयर धारकों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग वेब साइटwww.evotingindia.com पर लॉगिन करें । किसी भी प्रश्न के लिए सीडीएसएल को helpdesk.evoting@cdslindia.comपर मेल भेजें या 022-23058738/ 022-23058542/43 पर संपर्क करें ।
- संपर्क करें।
  12. दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि सोम्यार, दिनांक 30 नवंबर, 2020 को सुबह 9 बजे
  (आईएसटी) से शुरू हो कर ब्रुपवार, दिनांक 02 दिसंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)
  समाप्त होंगी एवं तत्पक्षात दूरस्य ई-वोटिंग के विकल्प को सीडीएसएटा द्वारा निष्क्रिय कर दिया
  जाएगा। भीतिक अपवार्ण अमृत रूप में बैंक के शेयार्ग को शास करने वाले शेयरशास्क अति सिर्वित
  तक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिंक रूप से ज्ञात सकते हैं। दूरस्य ई-मतदान के माध्यम से मतदान न
  करने वाले एवं से स्वर्थश्वर्ष जिल्हें ऐसा करने से विद्युत नहीं किया गया है, बैठक के दौरान ईवोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- . कृपया ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक बार बोट डाले जाने के पश्चातउसे संशोधित या एजीएम बैठक में ई वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं किया जा सकता है । हालांकि, श्रेयरधारक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं ।
- ते सकते हैं ।

  14. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर धारक है एवं वार्षिक आम बैठक की सुवना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि पर शेयरों को धारण करता है, agm@cameoindia.comपर अनुरोध मेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

  15. बैठक में भाग लोने और बॉट देने कम हक्तदार सदस्य वीसी या ओवीपप्रम पर आयोजित होने वाली बैठक में आहो बदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के साथ आग लेना हो, अपने स्थान पर बैठक में भाग लोने के लिए प्राप्त नहीं हैं। हालांकि, निगमित निकाय अपने बोठ संकर्त्य अभ्या शासी निकाय संकर्त्य के लिए पात नहीं हैं। हालांकि, निगमित निकाय अपने बोठ संकर्त्य अभ्या शासी निकाय संकर्त्य के हिए पात नहीं हैं। हालांकि, निगमित निकाय अपने बोठ संकर्त्य अभ्या शासी निकाय संकर्त्य के हिए पात नहीं हैं। हालांकि, निगमित निकाय अपने बोठ संकर्त्य अभ्या शासी निकाय संकर्त्य प्राधिकर प्राप्तिक प्राप्त के से से से साथ के बढ़ा किंद्र-कालकातांकुंद्र-काल पर है। हालांकि हो के क्षा के बढ़ा क्रात्त काला पर है। हालांकि हो हाला और Investor क्षाविका को बढ़ा क्षात्त काला के संकर्त हुए भेज सकते हैं।
- 16. ईजीएस में ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग का समेकित परिणाम बैंक की वेबसाइट: www.iob.in पर प्रदर्शित की जाएगी और सीडीएसएल के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों को एजीएम की समाप्ति के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचित की जाएगी।
- बाद ।गधारत समय-सामा क भातर सुधत का आएगा। वैसे सदस्य (लन्दें वीसी के प्राथाम से बैठक में सहभागिता व पहुँच के संबंध में तकनीकी सहामता की आवश्यकता है helpdesk, eycling@cdelindia com या सीडीएसएए के 0.22 23058738/022-2305884/243 पर संपर्क कर सकते हैं। सकते हैं। (निदेशक मंडल के अदेशको कृते बण्डियन अनुस्त्रील बैंक (ह/) प्रभाग सन्प्रता प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै - 600 002 दिनांक : 27 अक्टूबर 2020



## Indian Overseas Bank

Investor Cell, Central Office, Chennai - 600 002

## **Newspaper Publication**



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK CENTRAL OFFICE: 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

#### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Indian Overseas Bank will be held on Thursday, the 3" December, 2020 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

(OAVM) to transact the following business:

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking, Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act") and Nationalized Banks, (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 9 of the Act, and Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.1 dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 20, 2016 and any amendments made thereunder (hereinafter referred as "GOI Guidelines") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT one Director be elected from amongst the shareholders other than the

PRESOLVED THAT one Director be elected from amongst the shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications, GOI Guidelines, etc., be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from 8° December 2020 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office

By Order of the Board of Directors For Indian Overseas Bank (Sd/-)

Partha Pratim Sengupta
Managing Director & CEO

Place : Chennai Date : 27th October 2020

- Place: Chennai
  Date: 27° October 2020

  Partha Pratim Sengupta
  Managing Director & CEO

  1. In view of the continuing Covid-19 pandemic. MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular: No. 14/2020 dated April 08, 220. No. 17/2020 dated April 08, 220. No. 17/2020 dated April 08, 220. No. 17/2020 dated September 28, 2020 and SEBI vide circular: No. SEBIHOCEP CMD 1/CIRP/2020/17 dated 12th May, 2020 permitted companies to haid their Extraordinary General Meetings(EGM) through VC/OAWM for the calendar year 2020 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (\*SEBI Listing Regulations) and Disclosure Requirements (\*Regulations, 2015) (\*SEBI Listing Regulations) and Michael Provision of the Sebi Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (\*SEBI Listing Regulations) and the Control Regulations (\*New Provisions) (\*New Provisions) and Provisions (\*New Provisions) (\*Ne

- queries, write to CDSL at helpdesk evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 022-23058738 / 022-23058524/33.

  20. The remote e-voting period commences on Monday.30\*November 2020 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday.2" December 2020 at 5.00 p.m. and Remote e-voting shall be disabled thereafter by CDSL. Shareholders with their vote electronically. The shareholders who have not voted through remote e-voting and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during.

  3. Kindly note that once the vote is cast electronically, it cannot be modified or vote cannot be exercised in e-voting at the EGM. However, the shareholder can attend the meeting through VC/OAVM.

  4. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the company after dispatch of the notice of EGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at agm@camebindia.com.

  5. The meeting being held over VC or OAVM where physical attendance of members has been dispensed with a member entitled to attend and vote at the meeting is not eligible to apoint proxises to attend the meeting instead of him/her However, Body Corporates can send their Board Resolution or governing body Resolution/Authorization let. to the Scribinzer by email through their registered email address to agm@camebindia.com with copy marked to "saevoting@gmail.com" and to the Bank's website: www.bio.in and informed to Stock Exchanges as well as CDSL.

  17. Members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact at helpdesk evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 202-23058738 / 1022-23058542/43.

Place : Chennai Date : 27<sup>th</sup> October 2020

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
(Sd/-)
Partha Pratim Sengupta
Managing Director & CEO

**Business Standard** 

CHENNAI | MONDAY, 2 NOVEMBER 2020

